



राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

क्रमांक/एफ. 12 (सी)/कजा/राजस/2022/ 29.

दिनांक :- 13/01/2022

:- आदेश :-

जिला अजमेर में निम्न परियोजना/कार्य हेतु उपयोग में आ रही वन भूमि के प्रत्यर्पण हेतु गैर - वन भूमि का आरक्षण आवश्यक है :-

क्र.स.	परियोजना/कार्य का विवरण	उपयोग में आ रही वन भूमि का रकबा (हे०)
1	PHED Dept. - Fluoride Control Project For Remaining Villages Of Tehsil Beawar	7.0484
	कुल रकबा	7.0484

उक्त आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं उप वन संरक्षक अजमेर से प्राप्त भूमि के उपयुक्त होने की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम बाडिया लूम्या तहसील ब्यावर के खसरा नं 264/113 रकबा 80.5485 हैक्टेयर किस्म दांती में से 7.0484 हैक्टेयर भूमि, वन आरक्षण हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के प्रावधानानुसार नीचे अंकित शर्तों के अधीन आरक्षित करने के एतद्वारा आदेश प्रदान किये जाते हैं।

शर्तें :-

1. आरक्षित भूमि का उपयोग दृढतापूर्वक उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु आरक्षित की गई है।
2. आरक्षित भूमि का अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जायेगा।
आरक्षित भूमि का नक्शा ट्रेस संलग्न है।

संलग्न : नक्शा ट्रेस -1

(प्रकाश राजपुरोहित)

जिला कलक्टर, अजमेर

दिनांक :- 13/01/2022

क्रमांक :- सम/2022/ 602-11

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर।
2. उप वन संरक्षक अजमेर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर।
4. उपखण्ड अधिकारी ब्यावर।
5. अधीक्षण अभियंता (परियोजना खण्ड) जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, अजमेर।
6. अधिशाही अभियंता, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड, जवाजा जिला अजमेर।
7. तहसीलदार, ब्यावर को भेजकर लेख है कि- नियमान्तर्गत राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज एवं राजस्व नक्शा ट्रेस से तरमीम की कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए, सम्बन्धित को अवगत करावे।
8. क्षेत्रीय वन अधिकारी ब्यावर जिला अजमेर।
9. आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली

Jammy

आधशासा अभियंता

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
परियोजना खण्ड, जवाजा

(कैलाश चन्द्र शर्मा)

अति.जिला कलक्टर (प्रशा.), एवं
प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा,
कलक्टर अजमेर